राजस्थान सरकार
निर्वाचन विभाग

क्रमांकः एफ.3(1)(2)/ I/निर्वा./2014 | 1757 जयपुर, दिनांकः 25.02.2014

प्रेषकः **मुख्य निर्वाचन अधिकारी,**
राजस्थान, जयपुर।

प्रेषितिः **समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर्स)**
राजस्थान।

विषयः लोकसभा आम चुनाव–2014– निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के संबंध में दिशा निर्देश।

प्रसंग भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण पर अनुदेशों का संकलन, जनवरी 2014

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लोकसभा आम चुनाव 2014 के लिए निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के संबंध में निम्नलिखित दिशा निर्देश प्रदान किए जाते हैं :–

1. **निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण प्रकोष्ठ का गठन** (Expenditure Monitoring Cell) :–
प्रत्येक जिले में निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा जिसके नोडल अधिकारी राजस्थान प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी होंगे एवं अतिरिक्त नोडल अधिकारी राजस्थान लेखा सेवा के अधिकारी होंगे। इन अधिकारियों का प्रशिक्षण दिनांक 10.2.2014 को पटेल भवन, हरिशचन्द्र माथुर, लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर में दिया जा चुका है। निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण से संबंधित समस्त कार्य उक्त प्रकोष्ठ के द्वारा किया जाएगा।
(i) नोडल एवं अतिरिक्त नोडल अधिकारियों के द्वारा विभिन्न दलों यथा उडनदस्ता, स्थैतिक निगरानी दल, वीडियो निगरानी दल, विडियो अवलोकन दल एवं लेखा दलों के प्रभारी अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा एवं उक्त दलों का समुचित पर्यवेक्षण किया जाएगा।
(ii) उडनदस्ता एवं स्थैतिक निगरानी दलों के द्वारा जब्त राशि की अपील नोडल अधिकारी के द्वारा सुनी जाएगी और यथासम्भव उक्त अपील का निस्तारण सात दिवस में किया जाएगा।
(iii) नोडल अधिकारी के द्वारा निम्न प्रारूप में एक रजिस्टर संधारित किया जाएगा।

अपील रजिस्टर

क्र. सं.	तिथी	अपीलकर्ता का नाम व पता (मो.– ई–मेल)	अपील किसके विरूद्ध की गई है	विधान सभा क्षेत्र का नाम	लोकसभा क्षेत्र का नाम	जब्ती की तिथी	राशि	अपील के निर्णय की तिथि	निर्णय का अंकन	छोडी गई राशि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

नोडल अधिकारी के द्वारा अपील रजिस्टर में दर्ज अपीलों के निस्तारण के पश्चात् साप्ताहिक प्रतिवेदन निम्न प्रारूप में निर्वाचन विभाग को प्रेषित किया जाएगा :—

क्र.सं	अपील कमांक	अपील दायर कने की तिथि	अपीलकर्ता का नाम व पता (मो–ईमेल.)	एफ.एस. /एस.एस. टी का कमांक	विधान सभा क्षेत्र का नाम	लोकसभा क्षेत्र का नाम	अपील के निर्णय की तिथि	मुक्त की गई राशि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(iv) प्रत्येक जिले में व्यय संवेदनशील विधानसभा क्षेत्र एवं पाकेट्स की पहचान की जाएगी। प्रत्येक संवेदनशील विधानसभा क्षेत्र एवं पाकेट्स के लिए मतदान से पूर्व के सात दिन एवं 72 घण्टों की कार्ययोजना बनाकर प्रेषित की जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उक्त विधानसभा क्षेत्र एवं पाकेट्स में किसी प्रकार की नगदी, सामान, शराब आदि का वितरण नहीं किया जा सके।

(v) प्रत्येक अभ्यर्थी को नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् प्रत्येक तीन दिवस में निर्वाचन लेखे निरीक्षण हेतु व्यय पर्यवेक्षक अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने होंगे। इसके लिए सभी अभ्यर्थियों का इस प्रकार से निरीक्षण कार्यक्रम तैयार किया जाए कि प्रत्येक अभ्यर्थी के लेखों का प्रत्येक तीन दिवस में एक बार निरीक्षण हो सके।

(vi) निरीक्षण के दौरान यदि कोई अनियमितताएं पाई जाती है तो रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को एक नोटिस दिया जाएगा जिसमें अनियमितताओं का विवरण होगा। अभ्यर्थी के द्वारा नोटिस का जवाब 48 घण्टों में दिया जाएगा। 48 घण्टों में अभ्यर्थी के द्वारा जवाब देने अथवा नहीं देने पर रिटर्निंग अधिकारी मुख्यालय पर स्थित जिला निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण समिति जिसमें जिला निर्वाचन अधिकारी (RO), व्यय पर्यवेक्षक एवं नोडल अधिकारी, व्यय अनुवीक्षण प्रकोष्ठ सदस्य होंगे, द्वारा उक्त अनियमितता पर निर्णय किया जाएगा और इस निर्णय के आधर पर अभ्यर्थी के खाते में राशि लेखा दल द्वारा जोड़ी जाएगी और निर्णय की प्रति को साक्ष्य (FE) के रूप में लेखा दल द्वारा रखा जाएगा।

(vii) परिणामों की घोषणा के 30 दिवस में सभी अभ्यर्थियों से निर्वाचन व्यय लेखे प्राप्त कर निर्वाचन आयोग की वैब साइट पर अपलोड किए जाएंगे एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (RO) के द्वारा संवीक्षा रिपोर्ट तैयार कर प्रेषित की जाएगी। इसके अतिरिक्त निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण से संबंधित समस्त कार्य जो आये, सम्पादन किया जायेगा।

2. **सहायक व्यय पर्यवेक्षक** (Assistant Expenditure Observer) :—

(i) प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए एक सहायक व्यय पर्यवेक्षक की नियुक्ति की जाएगी जो कि उड़नदस्ता, स्थैतिक निगरानी दल, वीडियो निगरानी दल एवं वीडियो अवलोकन दलों के कार्यों का पर्यवेक्षण कर दैनिक रिपोर्ट अनुलग्नक–6 में व्यय पर्यवेक्षक को प्रेषित करेंगे।

(ii) रिटर्निंग अधिकारी मुख्यालय पर एक अतिरिक्त सहायक व्यय पर्यवेक्षक की नियुक्ति की जाएगी जो रिटर्निंग अधिकारी मुख्यालय पर गठित लेखा दल के कार्यों को पर्यवेक्षित करेंगे एवं रिपोर्ट व्यय पर्यवेक्षक को प्रस्तुत करेंगे।

(iii) सहायक व्यय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति केन्द्र सरकार की ग्रुप– 'बी' सेवाओं के अधिकारियों में से जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जाएगी। उक्त अधिकारियों की अनुपलब्धता की स्थिति में राजस्थान लेखा सेवा एवं अधीनस्थ लेखा सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति की जा सकेगी। किन्तु किसी भी स्थिति में आयकर अधिकारियों की नियुक्ति नहीं की जाएगी। सहायक व्यय पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण सम्भाग मुख्यालय पर दिया जा चुका है। जयपुर व अजमेर सम्भाग का प्रशिक्षण दिनांक 26 फरवरी, 2014 को होगा। यदि किसी सहायक व्यय पर्यवेक्षक का प्रशिक्षण सम्भाग मुख्यालय पर नहीं हुआ हो तो जिला स्तर पर नोडल अधिकारी, व्यय अनुवीक्षण प्रकोष्ठ द्वारा दिया जाएगा।

3. **उड़नदस्ता** (Flying Squad) :–

(i) प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र के लिए कम से कम 3 उडनदस्तों का गठन किया जाएगा जो 8–8 धण्टे की तीन पारियों में 24X7 कार्य करेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी अपनी सुविधा के हिसाब से उडनदस्तों को क्षेत्रवार भी नियुक्त कर सकते हैं। किन्तु यह सुनिश्चित किया जाए कि उडनदस्ते 24X7 तैयार रहें और किसी भी सूचना की प्राप्ति पर मौके पर जाकर कार्यवाही करने की स्थिति में रहें।

(ii) उडनदस्तों में एक वरिष्ठ कार्यपालक मजिस्ट्रेट, थाने का एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी एवं 1 से 3 पुलिसकर्मी तथा एक वीडियोग्राफर नियुक्त किया जाएगा। उडनदस्ते को एक वाहन उपलब्ध कराया जाएगा जिस पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम (माईक) नियुक्त किया जाएगा जिससे उडनदस्ता द्वारा लगातार Ethical Voting के लिए घोषणा की जाएगी।

(iii) उडनदस्ता चुनावों की घोषणा (Public Announcement) की तिथि से कार्य प्रारम्भ करेगा। उडनदस्ता द्वारा निम्न कार्य किया जावेगा :–

1 किसी भी सूचना पर उडनदस्ता द्वारा मौके पर जाकर वाहन/स्थल की तलाशी लेना और यदि :–

(i) निर्वाचन सामग्री के साथ 50,000 रु से ज्यादा नकदी या 10,000 रु से जयादा मूल्य की वस्तुऐं शराब, हथियार आदि मिलते हैं तो इन्हें जब्त किया जाएगा।

(ii) किसी वाहन में 50000 रू से अधिक नकद अथवा 10000 रू से अधिक मूल्य की वस्तुएं मिलती हैं और इनको मतदाताओं में वितरण के लिए ले जाया जा रहा हो, इस प्रकार की सूचना मिलती है, तो उक्त राशि एवं वस्तु को जब्त किया जाएगा।

(iii) किसी अभ्यर्थी/अभिकर्ता/समर्थकों के पास 50,000 से अधिक नकदी व 10,000 मूल्य की वस्तुएं मिलती हैं तो जब्त की जाएगी।

(iv) जब्त नकद राशि 10.00 लाख रूपये से अधिक होने पर आयकर अधिकारी को सूचना दी जाएगी।

(v) उडनदस्ता द्वारा तलाशी की वीडियोग्राफी कराई जाएगी।

(vi) जब्ती की स्थिति में पंचनामा बनाया जाएगा एवं अनुलग्नक–57 में रसीद दी जाएगी।

(vii) उड़नदस्ता द्वारा संबंधित व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171 (बी) में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी।

(viii) दैनिक रिपोर्ट परिशिष्ठ–8 में पुलिस अधीक्षक, जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी एवं सहायक व्यय पर्यवेक्षक को दी जाएगी।

2 आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों में कार्यवाही करना :–

उडनदस्ता द्वारा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन होने की सूचना पर तुरन्त कार्यवाही करेंगे और परिशिष्ट 8–क में दैनिक सूचना पुलिस अधीक्षक, जिला निर्वाचन अधिकारी, पर्यवेक्षक को देंगे।

3 Ethical Voting का प्रचार प्रसार :–

(i) उडनदस्ता के लिए प्रयुक्त वाहन पर चारों तरफ होर्डिंग्स इस प्रकार से लगाये जाएँगें जिससे Ethical Voting का जनता के मध्य प्रचार प्रसार हो।

(ii) मतदान तिथी के पूर्व के 7 दिवस एवं 72 घण्टों में उडनदस्तों को अधिक सक्रिय किया जाएगा जिससे किसी भी प्रकार की नकद राशि, उपहार, शराब आदि का वितरण नहीं किया जा सकेगा। केन्द्रीय रिर्जव पुलिस बल को भी उड़नदस्ते एवं स्थैतिक निगरानी दलों के साथ लगाया जा सकेगा।

(iii) उड़नदस्ते द्वारा निम्न रजिस्टर संधारित किया जाएगा :–

क्र. सं.	दिनांक	समय	सूचना का स्त्रोत	जिनकी तलाशी ली गई उनके नाम, पता, मो. नं.,	वाहन सं.	तलाशी में पाई वस्तुएं		जब्त राशि / सामग्री (अनुमानित मूल्य)
						नकद	अन्य	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

4. **स्थैतिक निगरानी दल** (Static Survilance Team) :-

प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में कम से कम 3 स्थैतिक निगरानी दलों का गठन किया जाएगा जो 8–8 घण्टे की तीन पारियों में 24X7 कार्य करेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी अपनी सुविधा के अनुसार स्थैतिक निगरानी दलों को क्षेत्रवार भी नियुक्त कर सकते हैं। स्थैतिक निगरानी दल में एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट, 1 से 3 पुलिसकर्मी एवं एक वीडियोग्राफर होगा। स्थैतिक निगरानी दल निर्वाचन की अधिघोषणा (Notification) की तिथि से कार्य करेंगे। स्थैतिक निगरानी दल राष्ट्रीय राजमार्ग अथवा अन्य राजमार्गो पर चैकपोस्ट कायम कर सन्देहास्पद वाहनों की चैकिंग करेंगे और निम्न प्रकार से जब्ती की कार्यवाही करेंगे :–

(i) निर्वाचन सामग्री के साथ 50,000 रु से ज्यादा नकदी या 10,000 रु से जयादा मूल्य की वस्तुऐं, शराब, हथियार आदि मिलते हैं तो इन्हें जब्त किया जाएगा।

(ii) किसी वाहन में 50000 रू से अधिक नकद राशि अथवा 10000 रू से अधिक मूल्य की वस्तुएं मिलती हैं और इनको मतदाताओं में वितरण के लिए ले जाया जा रहा हो इस प्रकार की सूचना मिलती है तो उक्त नकद राशि एवं वस्तुओं को जब्त किया जाएगा।

(iii) किसी अभ्यर्थी/अभिकर्ता/समर्थकों के पास 50,000 से अधिक नकदी व 10,000 मूल्य की वस्तुएं मिलती हैं तो जब्त की जाएगी।

(iv) जब्त नकद राशि 10.00 लाख रूपये से अधिक होने पर आयकर अधिकारी को सूचना दी जाएगी।

(v) प्रत्येक तलाशी की वीडियोग्राफी कराई जाएगी।

(vi) जब्ती की स्थिति में पंचनामा बनाया जाएगा एवं अनुलग्नक 57 में रसीद दी जाएगी।

(vii) स्थैतिक निगरानी दल संबंधित व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171 (बी) में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी।

(viii) स्थैतिक निगरानी दल प्रतिदिन परिशिष्ट–9 में अपनी रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक, जिला निर्वाचन अधिकारी, सहायक व्यय पर्यवेक्षक व रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।

(ix) मतदान तिथी से 7 दिवस पूर्व एवं 72 घण्टे पूर्व विशेष कार्य योजना बनाकर व्यय संवेदनशील विधानसभा क्षेत्रों एवं व्यय संवेदनशील पाकेट्स में सतत निगरानी रखेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि कहीं पर भी अवैध रूप से नकद राशि अथवा शराब आदि अन्य वस्तुओं का वितरण नहीं किया जा सके। केन्द्रीय रिर्जव पुलिस बल को भी उड़नदस्ते एवं स्थैतिक निगरानी दलों के साथ लगाया जा सकेगा।

(x) स्थैतिक निगरानी दलों के वाहनों पर भी Ethical Voting से सम्बन्धित होर्डिंग्स लगवायें जाए।

स्थैतिक निगरानी दल निम्न प्रारूप में एक रजिस्टर संधारित करेगा :–

क्र. सं.	दिनांक	समय	सूचना का स्त्रोत	जिनकी तलाशी ली गई उनके नाम, पता, मो. नं.,	वाहन सं.	तलाशी में पाई वस्तुएं		जब्त राशि/सामग्री (अनुमानित मूल्य)
						नकद	अन्य	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

5. **वीडियो निगरानी दल** (VST):-

प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक वीडियो निगरानी दल होगा एवं आवश्यकतानुसार इन वीडियो निगरानी दलों की संख्या बढाई जा सकेगी। इस दल में एक अधिकारी एवं एक वीडियोग्राफर होगा जो कि विधान सभा क्षेत्र में आयोजित होने वाली जनसभा/मीटिंग/रैली आदि की इस प्रकार वीडियोग्राफी करेगा जिससे उस रैली/जनसभा में होने वाले समस्त खर्चो को इस वीडियोग्राफी के माध्यम से देखा जा सके। वीडियो निगरानी दल का अधिकारी अपनी आवाज में उस रैली/जनसभा का विवरण रिकार्ड करायेगा और उसमें खर्चे के मद यथा कुर्सी/माईक/टैण्ट आदि के सम्बन्ध में

अपनी आवाज में संख्या रिकार्ड करायेंगा। प्रत्येक सीडी को एक नम्बर दिया जाएगा और प्रत्येक सीडी को साक्ष्य (Folder of Evidance) के रूप में रखा जाएगा। वीडियो निगरानी दल द्वारा अनुलग्नक–7 में एक क्यू शीट तैयार की जाकर वीडियो अवलोकन दल को भिजवाई जाएगी।

6. **वीडियो अवलोकन दल** (VVT):-

प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक वीडियो अवलोकन दल का गठन किया जायेगा जिसमें कम से कम एक अधिकारी एवं पर्याप्त कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। यह दल चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा से ही कार्य प्रारम्भ करेगा। यह दल सीडी/डीवीडी को देखने के पश्चात् निर्वाचन व्यय का आंकलन करके प्रत्येक दिन रिटर्निंग अधिकारी मुख्यालय पर नियुक्त लेखादल को भेजेगा। जिससे अभ्यर्थी के छाया प्रेक्षक रजिस्टर में अनुमानित व्यय दर्ज किया जा सके।

7. **लेखादल** (AT);-

(i) प्रत्येक **लोकसभा क्षेत्र** में एक लेखादल गठित किया जाएगा जो कि रिटर्निंग अधिकारी के मुख्यालय पर कार्य करेगा। उक्त दल में एक लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी एवं पर्याप्त संख्या में लेखाकार एवं अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी । लोकसभा क्षेत्र की आठों विधानसभा क्षेत्रों (चाहे वे किसी भी जिले में हो) से चुनावी जनसभा/रैली आदि में होने वाले व्यय का ब्यौरा वीडियो अवलोकन दल से प्राप्त करेगा एवं छाया प्रेक्षण रजिस्टर में दर्ज करेगा। प्रत्येक अभ्यर्थी का छाया प्रेक्षण रजिस्टर संधारित किया जाएगा और साक्ष्य के रूप में प्राप्त सभी दस्तावेज (सीडी सहित) क्रम संख्या अंकित कर रिकार्ड संधारित करेगा। उक्त दल चुनावों की घोषणा की तिथी से कार्य करेगा।

(ii) राजनैतिक दलों के द्वारा किये जाने वाले व्ययों के लिए निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण पर अनुदेशों का संकलन के अनुलग्नक–19 में दिये गये प्रारूप में लेखादल द्वारा प्रविष्टि की जाएगी जो चुनाव परिणाम घोषित होने के पश्चात् मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के माध्यम से चुनाव आयोग को भेजी जाएगी।

(iii) लेखादल द्वारा अधिप्रमाणित विज्ञापनों की लागत का भी अंकन अभ्यर्थी/राजनैतिक दलों के खातों में किया जाएगा। इसके अतिरिक्त एमसीएमसी द्वारा निर्णीत पेडन्यूज के प्रकरणों में डीपीआर दर के आधार पर पेडन्यूज की लागत अभ्यर्थी/राजनैतिक दल के खाते में जोडी जाएगी।

(iv) अभ्यर्थियों द्वारा निरीक्षण के समय प्रस्तुत निर्वाचन व्यय लेखों का मिलान छाया प्रेक्षण रजिस्टर से किया जाएगा एवं अनियमितता की स्थिति में रिटर्निंग अधिकारी को सूचित किया जाएगा। रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को नोटिस देने के उपरान्त प्रकरण रिटर्निंग अधिकारी मुख्यालय पर जिला व्यय अनुवीक्षण समिति के समक्ष रखा जाएगा एवं जिला व्यय अनुवीक्षण समिति द्वारा निर्णय के आधार पर व्यय अभ्यर्थी के खाते में जोडा जाएगा।

8. **शिकायत प्रकोष्ठ का गठनः–**

प्रत्येक जिला एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी के स्तर पर एक शिकायत प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा जो कि 24X7 कार्य करेगा। इस प्रकोष्ठ में पर्याप्त संख्या में टेलीफोन एवं कार्मिक लगाये जायेंगे। इस प्रकोष्ठ का प्रभारी अधिकारी एक वरिष्ठ प्रशाासनिक अधिकारी होगा जो कि निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण पर अनुदेशों का संकलन जनवरी 2014 के अनुलग्नक–13 के अनुसार एक पंजिका संधारित करेगा जिसमें प्रत्येक शिकायत एवं सूचना की प्रविष्टि की जाएगी। जिला स्तर पर शिकायत प्रकोष्ठ में दो टोल फ्री नम्बर की स्थापना की जाएगी और इन नम्बरों का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा।

9. **रिटर्निंग अधिकारी द्वारा व्ययों की दरें तय करनाः–**

रिटर्निंग अधिकारियों की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक में चुनाव प्रचार से सम्बन्धित सभी मदों पर दर निर्धारित की जाएगी। इन दरों की सूची नामांकन पत्र भरते समय अभ्यर्थी को दी जाएगी एवं अभ्यर्थी/राजनैतिक दल द्वारा किये जाने वाले व्ययों की प्रविष्टि छाया प्रेक्षण रजिस्टर में उक्त दरों के आधार पर की जाएगी।

10. **सन्देहास्पद नकद लेनदेनः–**

सन्देहास्पद नकद लेनदेन के सम्बन्ध में प्रत्येक बैंक के शाखा प्रबन्धक जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रतिदिन निर्धारित प्रपत्र में रिपोर्ट भेजेंगे। सन्देहास्पद नकद लेनदेन बैंक प्रबन्धक द्वारा निर्धारित किये जायेंगे। इन सन्देहास्पद नकद लेनदेनों की जॉच जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उड़नदस्ता/स्थैतिक निगरानी दल अथवा अन्य अधिकारियों से करवाई जाएगी। यदि सन्देहास्पद नकद लेनदेन का सम्बन्ध मतदाताओं में नकद राशि वितरण से पाया जाता है तो जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सम्बन्धित के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। सन्देहास्पद नकद लेनदेन की दैनिक रिपोर्ट के लिए प्रारूप निम्न प्रकार है :–

(i) लोक सभा क्षेत्र का नाम (ii) विधान सभा क्षेत्र का नाम (iii) जिले का नाम

(iv) बैंक का नाम (v) शाखा का नाम

सन्देहास्पद नकद लेनदेन

S.N.	Date	Name, address of A/c holder	A/c. No.	PAN NO.	Deposit/ Withdrawal	Amount
1	2	3	4	5	6	7

RTGS के माध्यम से सन्देहास्पद लेनदेन

S.N.	Date	Name, address of Transactor of RTGS	A/C No.	PAN No.	Deposit/ Withdrawal	Amount	Name, address of Receiving Transaction Holder	A/c. No.	PAN NO.	Amount
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

अभ्यर्थी व उसके सम्बन्धी द्वारा नकद लेनदेन

S.N.	Date	Name, address of Candidate	A/C No.	PAN No.	Deposit/ Withdrawal	Amount	Name, address of Candidates Relative	A/C No.	PAN No.	Relation	Deposit/ Withdrawal	Amount
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

राजनैतिक दलों द्वारा नकद लेनदेन

S.N.	Date	Name, address of Political Party	A/C No.	PAN No.	Deposit/ Withdrawal	Amount
1	2	3	4	5	6	7

अन्य सन्देहास्पद नकद लेनदेन

S.N.	Date	Name, address of Candidate	A/C No.	PAN No.	Deposit/ Withdrawal	Amount
1	2	3	4	5	6	7

अतः आप उक्त निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(अशोक जैन)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राज0 जयपुर

क्रमांकः एफ.3(1)(2)/ I/निर्वा./2014 11757 जयपुर, दिनांकः25.02.2014

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सम्भागीय आयुक्त, जयपुर/अजमेर/जोधपुर/उदयपुर/कोटा/बीकानेर/भरतपुर।
2. समस्त नोडल अधिकारी निर्वाचन व्यय अनुवीक्षणः
   (i) डा. आलोक त्रिपाठी, अति. पुलिस महानिदेशक, एटीएस, जयपुर।
   (ii) श्री संजीव, अतिरिक्त आयकर आयुक्त (अन्वेषण) जयपुर
   (iii) श्री अवधेश कुमार, अतिरिक्त आयकर आयुक्त (अन्वेषण) जोधपुर।
   (iv) श्री जितेन्द्र उपाध्याय, अतिरिक्त आबकारी आयुक्त, उदयपुर।
   (v) श्री एल एम अस्थाना, महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बडौदा व समन्वयक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, आनन्द भवन, संसार चन्द्र रोड, जयपुर।
3. समस्त पुलिस महानिरीक्षक रेंज जयपुर/अजमेर/जोधपुर/उदयपुर/कोटा/बीकानेर/भरतपुर।
4. पुलिस आयुक्त, जयपुर /जोधपुर
5. समस्त पुलिस अधीक्षक, राजस्थान।
6. समस्त पुलिस उपायुक्त जयपुर/जोधपुर।
7. समस्त जिला नोडल अधिकारी, निर्वाचन व्यय प्रकोष्ट, राजस्थान।
8. समस्त राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स, राजस्थान।
9. समस्त अधिकारीगण, निर्वाचन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. समस्त जिला अग्रणी बैंक प्रबन्धक, राजस्थान।

विशेषाधिकारी,
निर्वाचन विभाग,राज0 जयपुर
(osd.electionrj@gmail.com)
Tel.0141-2227255

By Camp Bag/Speed Post

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi – 110001

No. 76/Instrutions/EEPS2013/Vol.VI Date: 18th November2013

To

The Chief Electoral Officer of
Madhya Pradesh, Rajasthan,
NCT of Delhi, Mizoram and Chhattisgarh

Sub:- General Elections to the Legislative Assemblies of 5 States-2013- Average Aircraft/Helicopter hiring charges per hourly basis etc. Commercial/Non-commercial airports/helipads-Expenditure Monitoring- reg.

Sir,

I am directed to forward herewith e-mail dated 14th November, 2013 on the subject of average rates being charged. per hour (plus service tax) for aircraft/helicopters as received from Capt. Irshad Ahmad, Inspector Operations, Directorate General of Civil Aviation. You are requested to kindly bring the said average rate to the notice of DEO/ROs/Expenditure Observers etc. looking after the election expenditure monitoring for information and necessary action.

A copy of the instruction issued in this regard kindly be sent to the Commission. This disposes off CEO`s Rajasthan letter no. F.3(1)(2) Nirva/2013/8020,dated 8th November, 2013.

Yours faithfully,

(AVINASH KUMAR)
UNDER SECRETARY

From Bharat Bhushan Garg <bbgarg@eci.gov.in>
Sent Thursday, November 14, 2013 12:09 pm
To avinash.kr@eci.gov.in
Subject Fwd: helicopters charges for election flying
Attachments vCard(bbgarg)

1K

A,

for reference and record and may be forwarded to the EOs as well for info.

Bharat

----- Original Message -----
From Irshad Ahmed <irshad8821@gmail.com>
Date Thu, 14 Nov 2013 11:09:13 +0530
To bbgarg@eci.gov.in, avinash.kr@eci.gov.in
Subject helicopters charges for election flying

Dear Sir
Appended below please find the average rates which are being charged per hour plus service tax of 12.36%
1. Bell 429 - Rs 1.6 lakhs
2. Bell 407 - Rs 85,000 - 90,000
3. AS350B3 - Same as Bell 407
4. Bell 412 & Dauphin Helicopter - Rs 2.5 lakhs
5. Bell 206-L4 - Rs 80,000/hr

Hope the above information meets your requirement. At present I am in Mumbai on official tour & will be back in Delhi by Saturday evening.

Sincere regards,
Capt. Irshad Ahmad